

भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5066
बुधवार, दिनांक 02 अप्रैल, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

अधिशेष नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन

5066. श्री मुरसोली एस: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने देश में अधिशेष नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन दिया;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ग) देश के विभिन्न राज्यों में संस्थापित और उत्पादित नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा कौन-कौन से राज्य अधिशेष नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं; और
- (घ) विगत पांच वर्षों के दौरान अधिशेष नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादन करने वाले विभिन्न राज्यों को परियोजनावार कितनी-कितनी निधि आवंटित और संवितरित की गई है?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

- (क) और (ख): वर्तमान में, देश में अतिरिक्त नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए राज्यों को प्रोत्साहन देने का विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तथापि, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है, जो ज्यादातर मांग आधारित है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन योजनाओं और कार्यक्रमों में भागीदारी के माध्यम से वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, उस गृह राज्य की अर्थव्यवस्था, जहाँ पर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना हो रही है, को बढ़े हुए व्यापार, अधिक रोजगार एवं अतिरिक्त जीएसटी राजस्व के माध्यम से पहले ही लाभ में रहते हैं।
- (ग) दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में स्रोत-वार और राज्य-वार अक्षय ऊर्जा स्थापित क्षमता अनुलग्नक-I में दी गई है।
- (घ) एमएनआरई द्वारा कार्यान्वित की जा रही अधिकतर योजनाएं और कार्यक्रम मांग आधारित हैं और इसलिए राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता। विगत पांच वर्षों के दौरान, मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत जारी की गई निधियों के ब्यौरे अनुलग्नक-II में दिए गए हैं।

अनुलग्नक-I

‘अधिशेष नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5066 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

**दिनांक 28.02.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता का राज्य-वार तथा स्रोत-वार विवरण
(मेगावाट में)**

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु जल विद्युत (मेगावाट)	पवन विद्युत (मेगावाट)	जैव विद्युत (मेगावाट)	सौर विद्युत (मेगावाट)	बड़ी जल विद्युत (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)
1	आंध्र प्रदेश	163.31	4096.65	574.39	5179.23	1610.00	11623.58
2	अरुणाचल प्रदेश	140.61		0.00	14.85	1115.00	1270.46
3	असम	34.11		2.00	192.34	350.00	578.45
4	बिहार	70.70		140.22	319.44		530.36
5	छत्तीसगढ़	76.00		277.09	1340.54	120.00	1813.63
6	गोवा	0.05		1.94	55.44		57.43
7	गुजरात	106.64	12583.88	118.10	18125.41	1990.00	32924.03
8	हरियाणा	73.50		292.62	2025.18		2391.30
9	हिमाचल प्रदेश	1000.71		10.20	170.26	10281.02	11462.19
10	जम्मू और कश्मीर	189.93		0.00	74.49	3360.00	3624.42
11	झारखंड	4.05		20.14	199.87	210.00	434.06
12	कर्नाटक	1284.73	6878.30	1909.95	9312.71	3689.20	23074.89
13	केरल	276.52	63.50	2.50	1482.14	1904.15	3728.81
14	मध्य प्रदेश	123.71	2844.29	150.88	5012.88	2235.00	10366.76
15	महाराष्ट्र	384.28	5279.08	2992.57	9881.37	3047.00	21584.30
16	मणिपुर	5.45		0.00	13.79	105.00	124.24
17	मेघालय	55.03		13.80	4.28	322.00	395.11
18	मिजोरम	45.47		0.00	30.39	60.00	135.86
19	नागालैंड	32.67		0.00	3.17	75.00	110.84
20	ओडिशा	115.63		60.05	621.84	2154.55	2952.07
21	पंजाब	176.10		568.25	1421.43	1096.30	3262.08
22	राजस्थान	23.85	5195.82	200.56	27636.75	411.00	33467.98
23	सिक्किम	55.11		0.00	7.56	2282.00	2344.67
24	तमिलनाडु	123.05	11514.64	1045.45	9723.95	2178.20	24585.29
25	तेलंगाना	90.87	128.10	221.67	4842.10	2405.60	7688.34
26	त्रिपुरा	16.01		0.00	21.24		37.25
27	उत्तर प्रदेश	49.10		2273.67	3357.51	501.60	6181.88
28	उत्तराखंड	233.82		142.24	593.07	4035.35	5004.48
29	पश्चिम बंगाल	98.50		348.36	320.62	1341.20	2108.68
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.25		0.00	29.91		35.16
31	चंडीगढ़			0.00	78.85		78.85
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव			3.75	48.12		51.87
33	दिल्ली			84.00	313.40		397.40
34	लद्दाख	45.79		0.00	7.80	89.00	142.59
35	लक्षद्वीप			0.00	4.97		4.97
36	पुडुचेरी			0.00	54.11		54.11
37	अन्य		4.30	0.00	45.01		49.31
	कुल (मेगावाट)	5100.55	48588.56	11454.40	102566.02	46968.17	214677.70

अनुलग्नक-II

‘अधिशेष नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन’ के संबंध में पूछे गए दिनांक 02.04.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 5066 के भाग (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

विगत पांच वर्षों के दौरान एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के तहत जारी की गई निधियाँ
(करोड रु. में)

योजना	वर्ष				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
सौर पार्क	227.34	68.18	207.33	676.11	715.50
रूफटॉप सौर*	290.70	466.40	1482.30	1558.60	1558.60
पीएम-कुसुम	151.26	156.44	406.05	801.37	1000.60
सौर ऑफ-ग्रिड	303.87	147.22	159.49	56.35	34.32
जैव-ऊर्जा**	39.95	43.83	96.75	72.79	70.54
एसएचपी	77.33	40.78	28.01	17.96	13.46
जीईसी	52.61	159.52	134.67	250.00	413.14
अन्य	613.72	1049.20	390.04	565.44	2305.49
कुल	1756.78	2131.57	2904.64	3998.61	6111.64

*पीएम-सूर्य घर सहित

**बायोमास, बायोगैस और अपशिष्ट से ऊर्जा सहित
